भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र सं. ..53../2025

विषय:- "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)" पर आयोजित सेमिनार में एसईजेड यूनिटों और संस्थाओं के भाग लेने के संबंध में।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में है। यह एक ऐतिहासिक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, कार्यबल का औपचारिकीकरण करना तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आधारित रोजगार पर बल दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठान, एसईजेड यूनिटों सहित, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से जुडे हितधारकों के बीच विस्तृत जानकारी के प्रसार एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से एक संगोष्ठी (सेमिनार) / जनजागरण (आउटरीच) सत्र निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है:

दिनांक	समय	कार्यक्रम का स्थान	द्वारा आयोजित
29 अक्टूबर, 2025 (बुधवार)	सुबह 11:00 बजे से	मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर (मेगा सीएफसी), छठा तल, सीप्ज़-एसईज़ेड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई	ईपीएफओ, मुंबई के समन्वय से विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, मुंबई द्वारा

इस सत्र में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी:

i. पीएमवीबीआरवाई/रोजगार से जुडी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान और पंजीकरण प्रक्रिया;
ii. नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन संरचना;
iii. पात्रता मानदंड, दस्तावेज़ीकरण और ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से फाइलिंग;
iv. औद्योगिक क्लस्टरों/एसईजेड के साथ एकीकरण और एसईजेड इकाइयों के लिए अपेक्षित लाभ; और

v.कार्यान्वयन और डेटा सत्यापन पर स्पष्टीकरण।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त संगोष्ठी में भाग लें। इसमें भाग लेने से यूनिटों को योजना का लाभ उठाने और नवीनतम राष्ट्रीय रोजगार पहलों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी।

इस परिपत्र को सीप्ज़-सेज़ के अंतर्गत सभी यूनिटो धारकों और संस्थानों के लिए एक आमंत्रण माना जाए।

हस्ता/-
(मयुर आर. मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/Govt.Ref./2025-26/12930 **Date:-** 25**.10.2025**

प्रति,

1. सभी डेवलपर्स
2. डीसीओ/जेडीसीओ/डीडीसी/एसओ
3. सीप्ज़ के सभी अधिकारी/कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारी
4. सीप्ज़ वेबसाइट
5. सूचना पट्ट
6. सीप्ज़ के सभी यूनिट
7. एसजीजेएमए, जीजेईपीसी और एसईईएमए

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

CIRCULAR No. ...53.../2025

Sub.:- Seminar on "Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY)" – regarding participation of SEZ Units and Associations – reg.

Kind attention is invited to the communications received from the Ministry of Labour & Employment and the Department of Commerce, Government of India, regarding implementation of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) a landmark Central Sector Scheme aimed at promoting employment generation, formalization of workforce and enhancement of social security, with a special focus on the manufacturing sector and SEZ-based employment.

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has been designated as the *implementing agency* for the scheme, and all establishments covered under the EPF & MP Act, 1952, including SEZ Units, are eligible for the benefits under the scheme.

In order to disseminate detailed information and facilitate awareness among SEZ stakeholders, a seminar / outreach session is being organized in coordination with EPFO (M/o Labour & Employment) as per the following schedule:

Date	Time	Venue	Organised by
29th October, 2025 (Wednesday)	11:00 A.M. onwards	Mega Common Facility Centre (Mega CFC), 6th Floor, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai	O/o Development Commissioner, SEEPZ-SEZ in coordination with EPFO, Mumbai

The session will cover—

i. Key provisions and registration process under PMVBRY / Employment Linked Incentive (ELI) Scheme;
ii. Incentive structure for employers and first-time employees;
iii. Eligibility criteria, documentation, and filing through EPFO portal;
iv. Integration with industrial clusters / SEZs and expected benefits for SEZ units; and
v. Clarifications on implementation and data validation.

All stakeholders are requested to attend the above seminar. Participation will help units avail the benefits of the scheme and remain compliant with the latest national employment initiatives.

This circular may be treated as an invitation to all unit holders and associations within SEEPZ-SEZ.

Digitally signed by
Mayur Ramesh Mankar
Date: 25-10-2025
12:34:54

(Mayur R.Mankar)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/Govt.Ref./2025-26/ 12930 **Date:-** 25**.10.2025**

To,

1. All Developers
2. DCO/JDCO/DDC/SO
3. All Officers/Officials/outsourced staff of SEEPZ
4. SEEPZ Website
5. Notice Board
6. All Units of SEEPZ
7. SGJMA, GJEPC and SEEMA